रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092024-257583
CG-DL-E-28092024-257583

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3884] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946
No. 3884] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

का.आ. 4242(अ).—संख्या का.आ. 2000 (अ), तारीख 2 मई, 2023, द्वारा प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 3 मई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना की बाबत व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य 7.1977 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और राजस्थान राज्य में चुरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में स्थित है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना संख्या एफ.7 (379) राजस्व ए/59 तारीख 19 सितम्बर, 1962 द्वारा 1962 में जंगली पशुओं और पक्षियों के संरक्षण के लिए 'रिज़र्व क्षेत्र' घोषित किया गया था। यह क्षेत्र अंतत:

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 20 के अधीन आदेश एफ 7 (118) राजस्व /66 तारीख 11.05.1966 द्वारा 'रिजर्व वन' अधिसूचित किया गया था और 08.09.1966 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अंतिम अधिसूचना की अवधि के दौरान खंड का कुल क्षेत्रफल 2014.25 एकड़ (815 हेक्टेयर) था और राजपत्र अधिसूचना संख्या एफ (379) राजस्व /ए/71 तारीख 13 जुलाई, 1971 द्वारा संशोधित किया गया था। 1983 में कलेक्टर चुरू के द्वारा, कुल 815 हे. क्षेत्रफल में से 96 हेक्टेयर भूमि निकटतम ग्राम के नमक खनिकों और किसानों को आबंटित की गई थी। क्रीड़ा क्षेत्र में प्रवेश नियम, 1958 के नियम 2क के अनुसार राजस्थान वन्यजीव और पक्षी संरक्षण अधिनियम, 1951 की धारा 5 के अंतर्गत रिजर्व क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। अभयारण्य में 4500 से अधिक ब्लैकबक, चिंकारा और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातिया है। यह क्षेत्र प्रवासी पक्षियों विषेशतौर से रेप्टर्स के लिए विख्यात है।

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में वनस्पति और जीवजंतु की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों जैसे मोथा ग्रास *(साइपेरस रोटुंडुस), रेड फलारोपे (फलारोपुस फुलिकरिउस), चीनी पोंड बगुला (अरदेओला बच्चुस),* रेगिस्तानी मॉनिटर लिर्जाड (*वारानुस ग्रिसेउस), स्पाइनी टेल्ड लिर्जाड* (*यूरोमैस्टिक्स हार्डविक्की),एडोसा (एधाटोडा वासिका), लाल सट्टा (बोइरहानिया डिफ्फुसा),फोग (कल्लिगोनम* पोलीगोनोइड्स*), बान तुलसी (ओकिमुम संक्लुम), लाल-*नेक्कड फलकोन *(फलको चिक्यूइरा), लॉग्गेर फलकोन (फलको जुग्गेर), स्टोलिज्का बुशचैट (सैक्सिकोला मैक्रोरिन्चुस) को वास प्रदान करता है और क्षेत्र में स्थानिक प्रजाति* स्पॉटेड क्रीपर *(सालपोर्निस स्पिलोनोटस)* भी विद्यमान है;

और, क्षेत्र में मुख्य वनस्पति विद्यमान है जिसमें घास जैसे बौंली (*अकेशिया इएक्केर्नोन्टी*), झार बेर (*जिजिफस न्यूमुलरिया*), कैर (*कप्पारिस डेसीडुआस*), अडूसा (*अधतोदा वासिका, नीस.*), चोनलाई (*ऐमारैंथस विरिडिस*), बुई (*एरवा टोमेंटोसा, बर्म*), बुई (*एरवा जावानिका*), सत्यनाशी (*अर्केर्नोन मेक्सिका*), पालक (*बीटा वल्गारी, लिन*), लाल सत्ता (*बोरहानिया डिफ्यूसा*), बोकाना (*कोमेलिना बेंगालेंसिस*), धतूरा (*धतूरा मेटेल*), साजी (*सालसला ग्रिफिथि*), कटेली (*सोलेनर्न सुरटेन्स*), गोखरू (*ट्रिब्यू_सुरटेंस*), दुधी (*वल्लतिस सोलानेस, रोथ*), हिरन खुरी (*वट्टाकाका वोलुबिलिस*), आदि है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य जीवजंतु प्रजातियों जैसे ब्लैक बक (*एंटीलोप सर्विकाप्रा*), इंडियन गज़ेली (*गज़ेलिया गैजेलिया*), ब्लू बुल या नीलगाय (*बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस*), डेजर्ट फॉक्स (*वल्प्स वल्प्स पुसिला*), डेजर्ट कैट (*फेलिस लिबिका*), हेर डिजर्ट (*लेपस नाइग्रिकोलिस डायनस*), भारतीय साही (*हिस्ट्रिस इंडिका (केर),* भारतीय गेरबिल (*टेटेरा इंडिका*), आदि शिकारी डाइविंग बीटल (*अगाबस बाइकलर*), रिफ़ल बीटल (*एल्मिडे*), मार्श बीटल (*प्रियोनोसाइफ़ोन लिम्बटा*), डंग बीटल (*फेनियस विन्डेक्स मैकलाचलन*), टॉयलेट बीटल (*वर्जीनिया स्कॉफ्ड*), हनी मधुमक्खी (*एपिस मेलिफ़ेरा*), मड वास्प (*मड डाउबर*), स्फिंक्स मॉथ (*स्फिंगिडे*), भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा*), रसेल वाइपर (*विपेरा रसेली*), सॉ-सेल वाइपर (*एचिस कैरिनाटा*), जॉन अर्थ बोआ (*एरीक्स जॉनी*), स्पाइनी टेल्ड छिपकली (*यूरोमास्टिक्स हार्डविकी*), धमन या रैट स्नेक (*पाइटस म्यूकोसस*), ब्रूक्स गेको (*हेमिडैक्टाइलस ब्रूकी*), हाउस गेको (*हेमिडैक्टाइलस फ्लेविविरिडिस*) आदि के लिए वास प्रदान करता है;

और, वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य पक्षी प्रजातियों में डेमोइसेले क्रेन *(गरूस विरगो), सामान्य क्रेन (गरूस गरूस), बार-*हेड्डेड गूज *(एंसर इंडिकस), रूडी शेल्लडक (टैडोर्न फेर्रूगिनिया), सामान्य टैल (अनस क्रेका), ब्लैक-*शोल्र्डड काइट *(इलानस कैरूलेस), शिकारा (एक्सिपिटर बैडियस), टैनी ईगल (एक्विला रैपैक्स), लैग्गैर फाल्कन (फाल्को जुग्गेर),* रेड-हेडेड फाल्कन *(फाल्को चिक्केरा), मर्लिन (फाल्को कोलम्बेरियस), सामान्य केस्ट्रेल (फाल्को टिन्नुंकुलुस), लेस्सेर केस्ट्रेल (फाल्को नौमानी), स्टेप्पे ईगल (एक्विला निपलेंसेस) ग्रेटर स्पॉटेड ईगल (क्लैंगा क्लैंगा), ईस्टर्न इंपीरियल ईगल (एक्विला हेलियाकल), स्पॉटेड ओवलेट (एथेना ब्रह्मा), यूरेशिन ईगल उल्लू (बुबो बुबो),* शॉर्ट-ईयर उल्लू *(एशियो फ्लेमियस), स्टोलिज्का* बुशचैट*(सक्सिकोला मैक्रोरिंचस), हेन हैरियर (सर्कस साइनियस), पैल्लिड हैरियर (सर्कस मैक्रोरूस), मोंटेग्यू हैरियर (सर्कस पाइगारगस), पश्चिमी मार्श हैरियर (सर्कस एरूगिनोसस), साइबेरियन स्टोनचैट (सैक्सिकोला मौरस),*

रिचडर्स पिपिट (एंथुस रिचार्डी), लॉन्ग-बिल्लेड पिपिट *(एंथस सिमिलिस), टैनी पिपिट (एंथुस कैम्पेस्ट्रिस), वाटर पिपिट (एंथुस स्पिनोलेट्टा), ब्लैक ड्रोगो (डिक्रूरस मैक्रोसेर्कस), शॉर्ट*-टोड स्नेक ईगल *(क्रिकटस गैलिकस), पाइड एवोकेट (रिकुर्विरोस्ट्रा एवोसेट्टा), उत्तरी पिंटैल (अनास अकुटा), सामान्य कूट (फुलिका एट्रा), वाइट*-टेल्ड लैपविंग *(वैनेलस ल्यूकूरस), रेड*-वॉटल्ड लैपविंग *(वैनेलस इंडिकस), येलो*-वॉटल्ड लैपविंग *(वैनेल्लुस मालाबरिकस), सोशेबल लैपविंग (वेनेल्लुस ग्रेगेरियस), लिटिल ग्रेबे(टैचीबैप्टस रूफिकोल्लिस), ब्लैक*-विंगेड स्टिल्ट *(हिमांटोपुस हिमांटोपुस), ग्रे फ्रेंकोलिन (फरांकोलिनस पोंडिकेरिअनस), रूफ्फ (फिलोमाचुस पुगनाक्स), गडवाल (अनास स्ट्रेपेरा), यूरेशियन विजोन (मारेका पेनेलोपे), चेस्नट*-बेल्लिड सैंड ग्राउज *(पटेरोक्लेस एक्सस्टस)* आदि विद्यमान है; (तालछापर वन्यजीव अभयारण्य में अभिलेखित पक्षियों का विवरण परिशिष्ट VI पर दिया गया है।)

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में तितली**,** कीडे**-**मकोड़ों और सरीसृपों की महत्वपूर्ण प्रजातियां वाटर स्केवेंजर बीटल *(हाइड्रोफिलिडे), प्रेडाशियस डाइविंग बीटल (एगबस बाइकलर),* रिफ्फ्ले *बीटल (इलमिडे), मार्श बीटल (प्रयोनोसाइफन लिम्बाटा), बैकस्विम्मर (नोटोनेक्टिडे), वाटर बोटमैन (कोरिक्सडे), वाटर स्ट्राइडर (गेर्रिडे), वाटर* स्कोर्पियन (नेपिडए), बटरफ्लाईज़ *(रहोपालोकेरा), स्टिक* इंसेक्ट *(फस्मेटोडिया),* प्रेयिंग मंटिस (मंटोडिया*), ग्रासहोप्पेर (कैलीफेरा), लोकुस्ट (डिसएमबीगुएशन), क्रिकेट (ग्रिलिडे), मेटेल्लिक बीटल (बुप्रेस्टडे), डंग बीटल (फेनेयस विंडक्स मैकलाचलान), टॉयलेट बीटल (विरगिनिया स्कोफ्फेड), हनी बी (एपिस मेल्लिफेरा), वासप (वेस्पुला वुलगारिस),* क्सिलोकप्पा *(कारपेंटर बी), सैंड वासप (बेम्बिकिनि), मडवासप (मड दुबेर),* सिर्फिक्समोथ *(स्फिंगिआडिया), फायरफ्लाई (*लाम्पीरिदै*), किकिदा (किकादीदाइ), टर्मिट (*ईसोप्टेरा*),* कॉक्रोच *(बलाट्टेल्ला असाहिनाई), ब्लिस्टेर बीटल (मेलोआडिया), पेंटाटोमिड बग (पेंटाटोमाईडे), ब्यूप्रेस्टिड बीटल (बप्रेस्टिडे),* मॉनिटर लिर्जाड *(वारानस ग्रिसेउस डासुदीन), पायथन (केनस पायथन),* स्टार्रड कछुआ *(गेओचालोने इलेगानस), भारतीय कोबरा (नाजा नाजा), सामान्य भारतीय करैत (बुंगारूस कैरूलेउस), रूस्सेल विपेर(विपेरा रूस्सेल्ली), साव*-सील्ड विपर *(इचिस करिनाटा), जोहन अर्थ बोआ (*एरिक्स जोहनी*), स्पिनी टैलेड लिर्जाड (*उरोमस्टिक्स हार्डविकी*), धामन या रेट स्नेक (पतयस मुकोसुस), ब्रुक्स गेक्को (हेमिडाक्लुस ब्रुरोकी), हाउस गेक्को (*हेमिडेक्टीलुस *फ्लाविविरीडिस), सामान्य ग्रार्डन लिर्जाड (कलोटेस वेरसिकोलोर), सामान्य स्किंक (माबुया कैरिनाटा)* आदि विद्यमान है;

और, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के संरक्षित क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण), 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर तक विस्तारित क्षेत्र को ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य, पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1.0किलोमीटर से 3.4 किलोमीटर तक विस्तृत है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 22.45 वर्ग किलोमीटर है।

विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नीचे दिया गया है:-

दिशा	विस्तार
उत्तर	1.0 किलोमीटर
उत्तर-पूर्व	2.9 किलोमीटर
पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण-पूर्व	1.0 किलोमीटर
दक्षिण	3.4 किलोमीटर
दक्षिण-पश्चिम	1.2 किलोमीटर
पश्चिम	1.6 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1.3 किलोमीटर

(2) ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध**-I में दिया गया है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपाबंध-II के रुप में संलग्न है।

(4) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **उपाबंध–IIIक**, **उपाबंध–IIIख**, **उपाबंध–IIIग**, **उपाबंध–IIIघ**, **उपाबंध–IIIङ** और **उपाबंध–IIIच** के रूप में संलग्न है।

(5) ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू- निर्देशांक **उपाबंध-IVक** और **उपाबंध-IVख** में दिए गए है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर और स्थानीय लोगों के परामर्श से तथा इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों की पुष्टि करते हुए, आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार और केंद्रीय और राज्य की सुसंगत विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन एवं वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) राजमार्ग; और

(xiii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना में विद्यमान अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं होगा जब तक कि ऐसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित क्षेत्रों के प्रत्यावर्तन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों और सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। योजना को विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित उपबंधों क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-टर्मिनस होगी।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगी।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मानीटरी समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए क्षेत्रों के रुप में उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर इस खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के यथा लागू अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) अवसंरचनात्मक और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं समर्थित पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी शामिल है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई गई कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित की जाएगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और पर्यावरण पुनः बहाली क्रियाकलापों के माध्यम से अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल निकाय.**- सभी प्राकृतिक जलमार्गों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और नवीनीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जा सके जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी-पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर पर्यटन से संबंधित विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार या सभी नये पारिस्थितिकी-पर्यटन क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी-पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

(ii) आंचलिक महायोजना तैयार होने और अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे कि जीन पूल आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी परिरक्षण और संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित, ध्वनि पर्दूषण (विनियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, के द्वारा प्रकाशित वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), तथा पर्यावरण अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल प्रदूषण) निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का (6 तथा पर्यावरण अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों में बदलाव समय समय पर किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-.** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंध निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिस्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक सामग्री को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थलों पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य रीति से निपटाया जा सकता है ।

(ख) सुरक्षित और पर्यावरणीय ठोस अपशिष्ट के निपटान का प्रबंधन पुराने नियमों के अनुसार चिन्हित उपकरणों के माध्यम से पारिस्थितिकी संवेदी जोन मे किया जा सकता है ।

(10) **जैव-चिकित्सा अपशिष्ट:-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान और प्रबंध निम्नानुसार किया जा

(क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) सुरक्षित और पर्यावरणीय जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान का प्रबंधन पुराने नियमों के अनुसार चिन्हित उपकरणों के माध्यम से पारिस्थितिकी संवेदी जोन मे किया जा सकता है ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध -.**पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंध, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के अधीन ,प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंध**.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंध, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंध, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात.-** वाहन-यातायात को पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने तक और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन वाहन-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण.-** वाहन जनित प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालना में होगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे जैसे प्राकृतिक गैस इत्यादि ।

(16) औद्योगिक ईकाईयां:-(i) राजपत्र गजट में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से या उसके पश्चात्, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमति दी जाएगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, और इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को ईंगित किया जाएगा जहां किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन अधीन बने नियमों, जिसमें तटीय विनियमन जोन और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना अन्य लागू विधियां भी हैं, जो समय समय पर यथा संशोधित। नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका रिट याचिका (सी) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश और 2012 की रिट याचिका डब्लू.पी (सी) सं. 435 के 2012 और आई.ए. संख्या 1000 के 2003 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 03.06.2022 के आदेश के अनुसरण में होगा और इसी

		क्रम में 26.04.2024 और 28.04.2024 का आदेश 2022, आई.ए. संख्या 131377 का अनुसरण होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों और विद्यमान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी: परन्तु, कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और सामान्य भस्मीकरण सुवउढ़ की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। आगे औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिस्थान/ अस्पताल आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मक सुविधा की स्थापना प्रतिषिद्ध है।
7.	फार्मों ,कॉर्पोरेट और कॉम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा ओर कुक्कुट फॉर्मों की स्थापना	प्रतिषिद्ध ।
8.	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परन्तु यह, कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों की अनुरुपता से इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार होगा।

11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(अ)संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह, कि स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में वर्णित क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, (ब) महा योजना के एक किलो मीटर के दायरे के आगे लागू किया जाएगा।
12.	लघु पैमाने के गैर-प्रदूषणकारी उद्योग।	फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और गैर-परिसंकटमय, लघु-स्तरीय और सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या कृषि-आधारित उद्योग जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में स्वदेशी सामग्री से उत्पाद तैयार करते हैं, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी और समय समय पर यथा संभव।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या तद्धीन अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	विद्युत और संचार टावरों का खड़ा किया जाना और केबल बिछाना और अन्य अवसंरचनाएं।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जा सकता है)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित अवसंरचना।	लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन संबंधी उपाय करना।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	लागू विधियों, नियमों एवं विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन संबंधी उपाय करना।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे गर्म हवा के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

	ऊपर उड़ान भरना।	
19.	पहाड़ी ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	डेयरी, डेयरी फार्मिंग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन के साथ-साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएं।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुमति दी गई है।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित उपशिष्ट जल और बहिस्र्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्रावों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव के निर्वहन को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भू-जल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुओं ओर बोर बेल का कृषि व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग ।	संचालित संस्था को कड़ाई से पालन करने के निर्देशित।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पॉलिथीन की थैलियों का प्रयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	वाणिज्यिक साइन बोर्डस और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योग सहित ग्रामीण कारीगर आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि-वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	बागवानी के वृक्षारोपण और हर्बल्स।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	बंजर भूमि की बहाली या वन या आवास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

38.	पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5.निगरानी समिति.- केंद्रीय सरकार, द्वारा गठित निगरानी समिति के नाम से ज्ञात, एक समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(i)	जिला कलेक्टर, चुरू	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	वन्यजीव संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रत्येक 3 वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।	गैर सरकारी सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रत्येक 3 वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ किसी संस्था या राज्य विश्वविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा समय समय प्रत्येक 3 वर्ष के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vi)	नगर नियोजन विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(vii)	उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;;
(viii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य, पदेन;;
(ix)	वन्यजीव वार्डन, चुरू	सदस्य, पदेन;;
(x)	रेंज वन अधिकारी, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;;
(xi)	सहायक वन संरक्षक, ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;;
(xii)	उप वन संरक्षक, चुरू	सदस्य सचिव, पदेन;

6.निगरानी समिति के कार्य.-(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की समीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का .आ.1553 (अ) ,तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करके और उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं और यथा स्थिति , जलवायु ,परिवर्तन या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में न आने वाले क्रियाकलाप और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विनिर्दिष्ट की स्थितियों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्यसचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक-, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति संबंधित विभागों से प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संगमों के प्रतिनिधियों या पणधारियों को अपने विचार विमर्श में सहायता के लिए-आवश्यकता अनुसार प्रत्येक मामले के आधार पर आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना के संलग्न **उपाबंध-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, जो वह उचित समझे ऐसे निदेश लिखित में दे सकेगी ।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार निर्दिष्ट कर सकेगी । ,

उपाबंध -I

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्वी सीमा: रेलवे स्टेशन छापर से उस बिंदु तक किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे जहां देवानी-गुलेरियन की सीमा राजस्व ग्राम राजमार्ग को अलग करती है, रामपुर ग्राम को छोड़कर देवनी छापर रोड और मेगा हाईवे के जंक्शन तक जहाँ यह अभयारण्य से 01 किमी से कम की दूरी पर है, यह रामपुर ग्राम के खेतों से होकर गुजरता है।

दक्षिणी सीमा: मेगा हाईवे से उस बिंदु तक देवानी –गुलेरियन और सूरवास- गुलेरियन ग्रामों की राजस्व ग्राम सीमा तक है जहां सूरवास-सुजागढ़ कट्टानी रास्ता के राजस्व सीमा को अलग करती है; और, सूरवास-सुजानगढ़ कट्टानी रास्ता सूरवास ग्राम में उसके आरंभ स्थान तक जाती है।

पश्चिमी सीमा: चडवास-बीदासर सड़क पर ग्राम सूरवास अभयारण्य की सीमा से 1 किमी की दूरी पर छापर शहर तक चरवास और छापर के कृषि क्षेत्रों से गुजरते हुए पहले सड़क वक्र तक जाती है।

उत्तरी सीमा: चरवास ग्राम की सीमा से छापर शहर तक (अभयारण्य से **1** किमी की दूरी पर) जाती है। ।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सम्मिलित भूमि के भूमि उपयोग पैटर्न

1. रिजर्व वन:- 719 हेक्टेयर अधिसूचित और ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रबंधित किया जा रहा है।

2. वन भूमि:–अभयारण्य की पश्चिम सीमा के समीपवर्ती **78** हेक्टेयर भूमि।

3. साल्ट पैन:- अभयारण्य की पश्चिम सीमा के समीपवर्ती 450 हेक्टेयर, जो औद्योगिक विभाग के नियंत्रण के अधीन प्रबंधित किया जा रहा है;

4. निजी कृषि भूमि, राजस्व भूमि, स्कूल, गांधीसागर, रॉयल कोठी और अलग-अलग आवास आदि:- लगभग **1**710 हेक्टेयर।

5. अभयारण्य के पूर्व:- गौशाला छापर, लगभग **300** हेक्टेयर

उपाबंध-II

भूनिर्देशांक सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्राम- अथवा कस्बों की सूची

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र में आने वाले ग्राम अथवा कस्बों की प्रमुख सीमाओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	जिला/प्रभाग	तहसील	ग्राम/कस्बों का नाम	अक्षांश	देशांतर
i.	चुरू	सुजानगढ़	चाड़वास	27° 48' 02.1" उ	74° 24' 35.3" पू
ii.	चुरू	सुजानगढ़	देवानी	27° 47' 29.4" उ	74° 27' 16.8" पू

iii.	चुरू	सुजानगढ़	रामपुर	27° 48' 00.8" उ	74° 27' 39.5" पू
iv.	चुरू	सुजानगढ़	सूरवास	27° 46' 22.7" उ	74° 25' 31.0" पू
v.	चुरू	सुजानगढ़	छापर	27° 48' 39.9" उ	74° 26' 14.0" पू

उपाबंध –IIIक

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्तिथिक संवेदी जोन का अवस्थिति मानचित्र

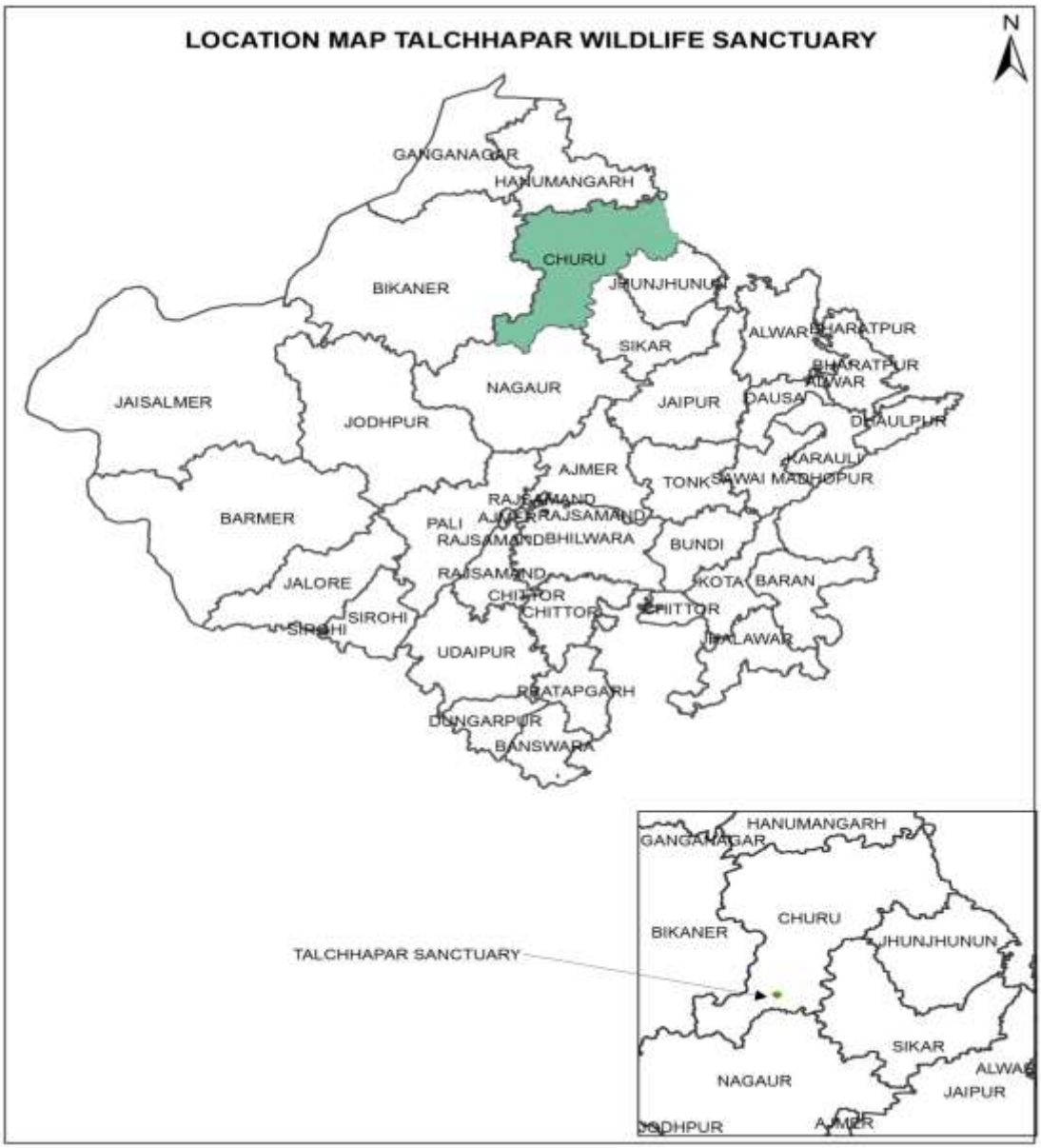

उपाबंध – IIIख

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का डिजिटल मानचित्र

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) की टोपोशीट पर ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का मानचित्र

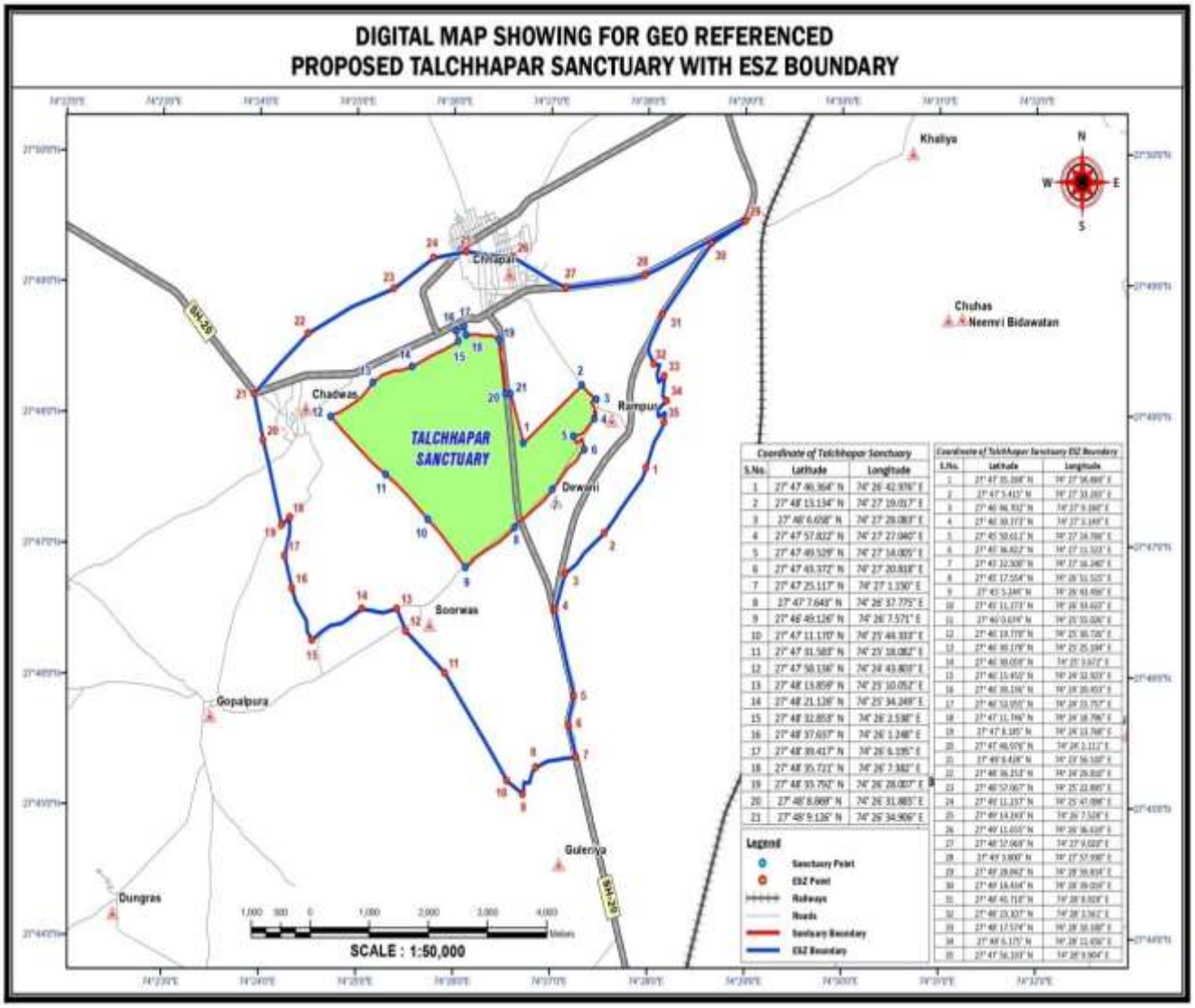

उपाबंध – IIIग

भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई) की टोपोशीट पर ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का मानचित्र

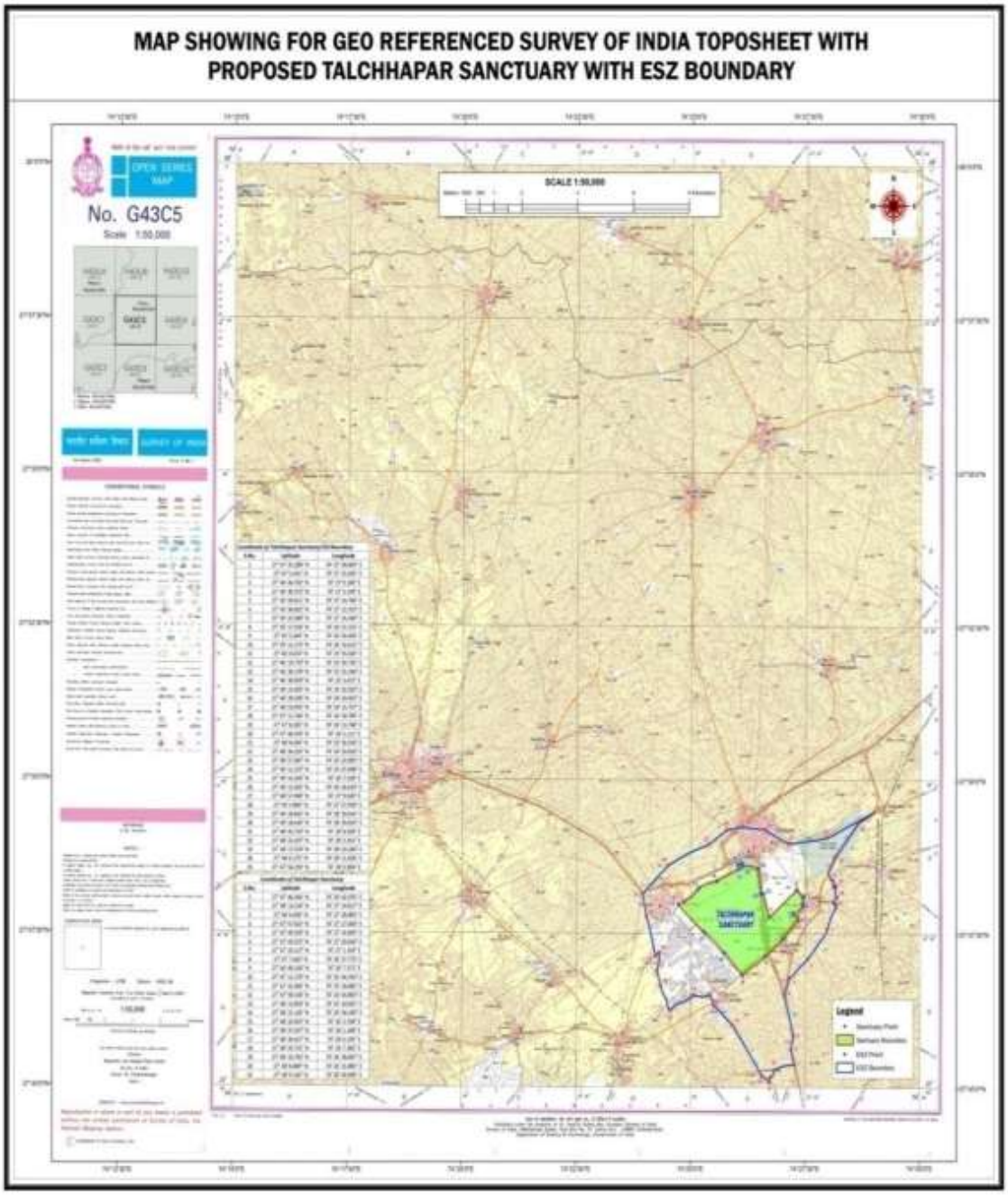

उपाबंध – III घ

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

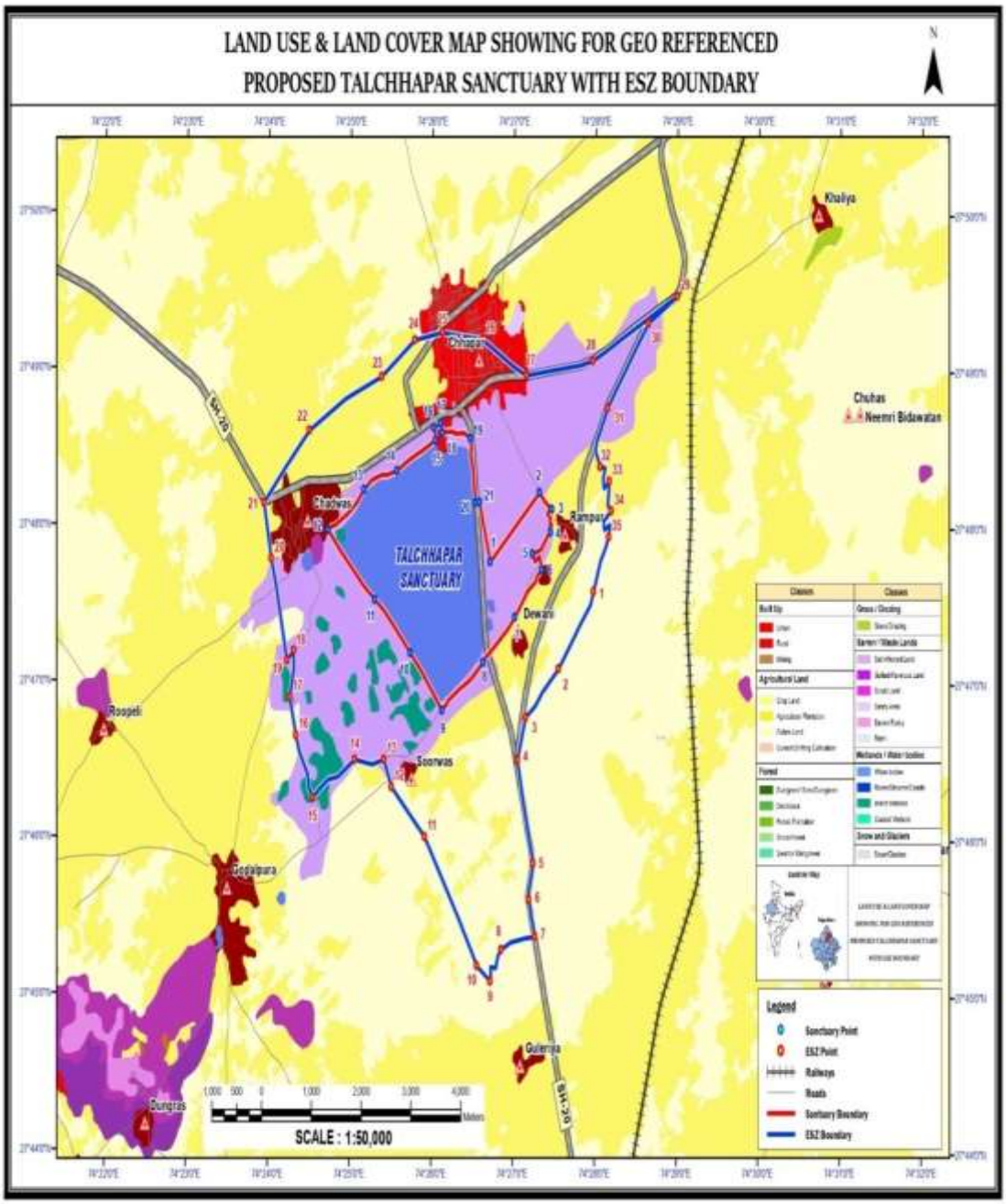

उपाबंध–IIIङ

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का भूमि उपयोग मानचित्र

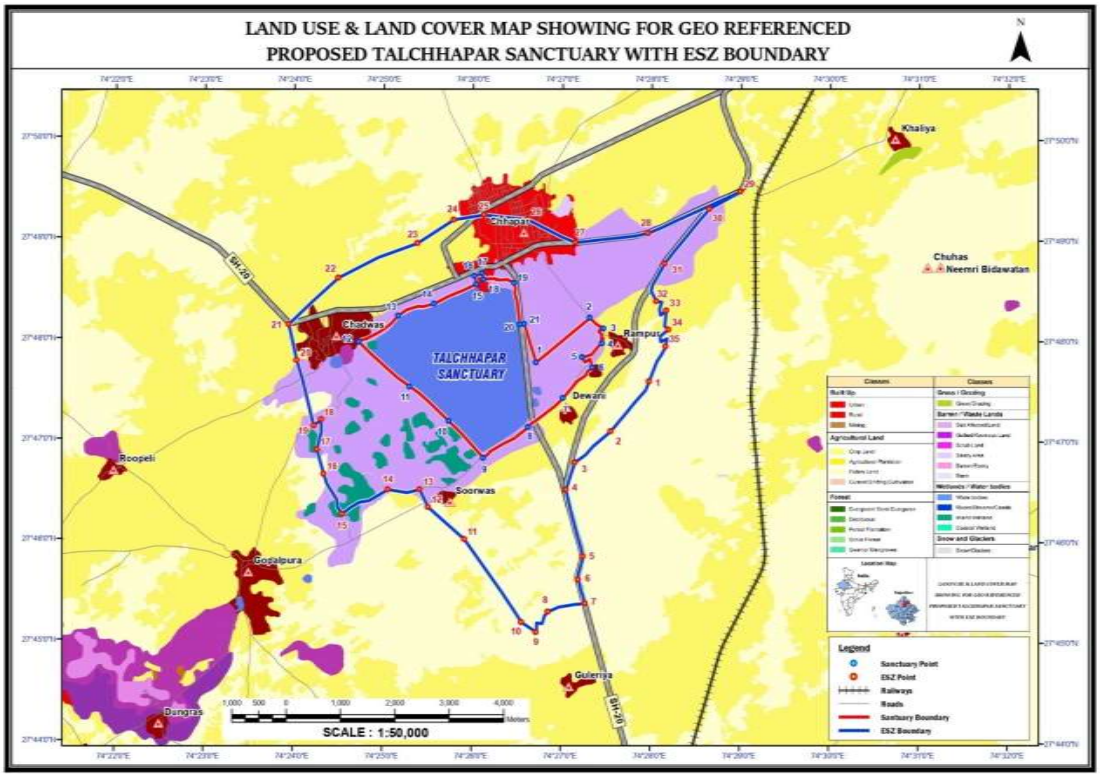

उपाबंध – IIIच

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्तिथिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

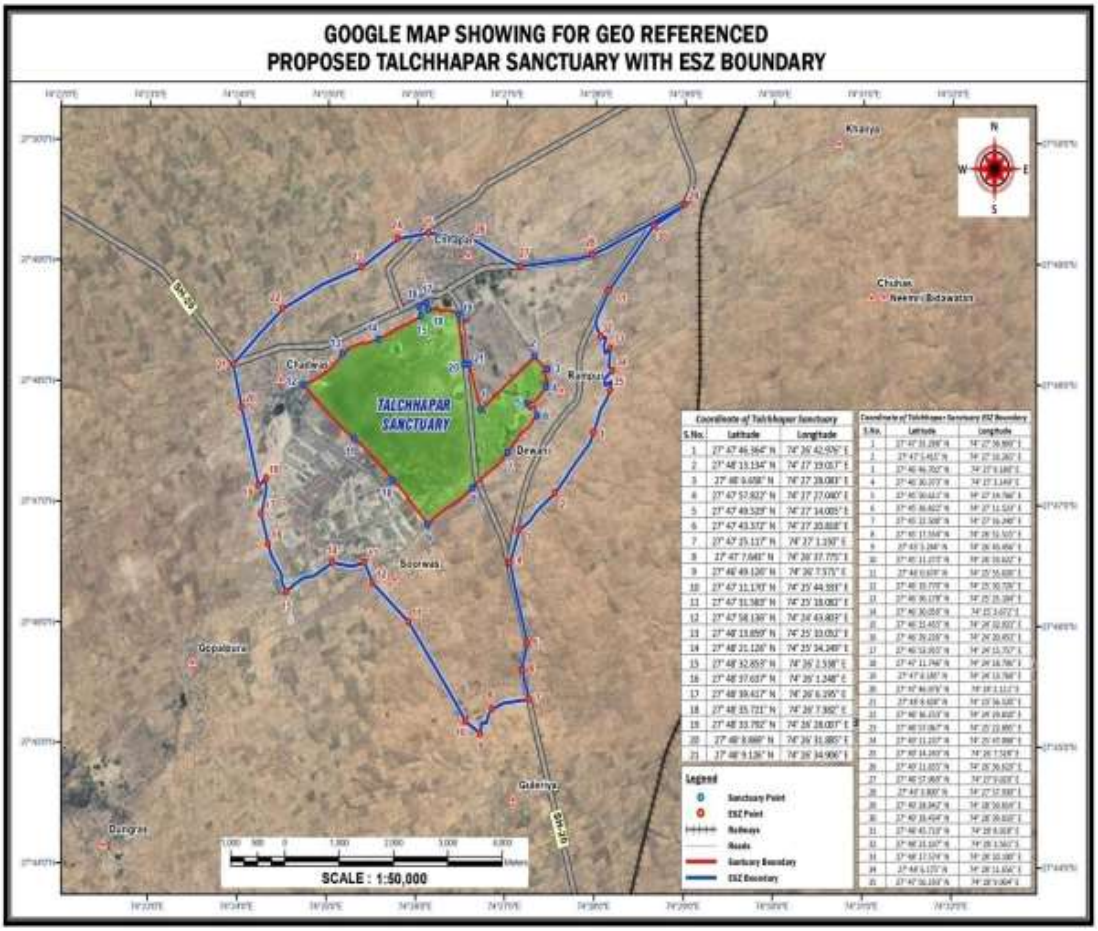

उपाबंध- IVक

मानचित्र पर दिखाए गए संरक्षित क्षेत्र के ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा सहित प्रमुख स्थानों का अक्षांश-देशांतर

ताल छापर अभयारण्य के निर्देशांक		
क्र.स.	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	27° 47' 46.364" उ	74° 26' 42.976" पू
2	27° 48' 13.134" उ	74° 27' 19.017" पू
3	27° 48' 6.658" उ	74° 27' 28.083" पू
4	27° 47' 57.822" उ	74° 27' 27.040" पू
5	27° 47' 49.529" उ	74° 27' 14.005" पू
6	27° 47' 43.372" उ	74° 27' 20.818" पू
7	27° 47' 25.117" उ	74° 27' 1.150" पू
8	27° 47' 7.643" उ	74° 26' 37.775" पू
9	27° 46' 49.126" उ	74° 26' 7.571" पू
10	27° 47' 11.170" उ	74° 25' 44.333" पू
11	27° 47' 31.583" उ	74° 25' 18.082" पू
12	27° 47' 58.136" उ	74° 24' 43.803" पू

13	27° 48' 13.859" उ	74° 25' 10.052" पू
14	27° 48' 21.126" उ	74° 25' 34.249" पू
15	27° 48' 32.853" उ	74° 26' 2.538" पू
16	27° 48' 37.637" उ	74° 26' 1.248" पू
17	27° 48' 39.417" उ	74° 26' 6.195" पू
18	27° 48' 35.721" उ	74° 26' 7.382" पू
19	27° 48' 33.792" उ	74° 26' 28.007" पू
20	27° 48' 8.869" उ	74° 26' 31.885" पू
21	27° 48' 9.126" उ	74° 26' 34.906" पू

उपाबंध –IVख

ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य विस्तृत पारिस्थितिकी संवेदी जोन जीएस.पी. बिंदु

ताल छापर अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक		
क्र.स.	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	27° 47' 35.288" उ	74° 27' 58.869" पू
2	27° 47' 5.415" उ	74° 27' 33.265" पू
3	27° 46' 46.702" उ	74° 27' 9.180" पू
4	27° 46' 30.373" उ	74° 27' 3.149" पू
5	27° 45' 50.611" उ	74° 27' 14.766" पू
6	27° 45' 36.822" उ	74° 27' 11.523" पू
7	27° 45' 22.500" उ	74° 27' 16.240" पू
8	27° 45' 17.554" उ	74° 26' 51.515" पू
9	27° 45' 5.244" उ	74° 26' 43.456" पू
10	27° 45' 11.273" उ	74° 26' 33.622" पू
11	27° 46' 0.674" उ	74° 25' 55.026" पू
12	27° 46' 19.770" उ	74° 25' 30.726" पू
13	27° 46' 30.178" उ	74° 25' 25.104" पू
14	27° 46' 30.059" उ	74° 25' 3.672" पू
15	27° 46' 15.455" उ	74° 24' 32.923" पू
16	27° 46' 39.236" उ	74° 24' 20.453" पू
17	27° 46' 53.955" उ	74° 24' 15.757" पू
18	27° 47' 11.746" उ	74° 24' 18.796" पू
19	27° 47' 8.185" उ	74° 24' 13.768" पू
20	27° 47' 46.976" उ	74° 24' 2.111" पू
21	27° 48' 8.428" उ	74° 23' 56.520" पू
22	27° 48' 36.253" उ	74° 24' 29.810" पू
23	27° 48' 57.067" उ	74° 25' 22.895" पू

24	27° 49' 11.237" उ	74° 25' 47.098" पू
25	27° 49' 14.243" उ	74° 26' 7.528" पू
26	27° 49' 11.655" उ	74° 26' 36.619" पू
27	27° 48' 57.969" उ	74° 27' 9.020" पू
28	27° 49' 3.800" उ	74° 27' 57.930" पू
29	27° 49' 28.842" उ	74° 28' 59.814" पू
30	27° 49' 18.434" उ	74° 28' 39.019" पू
31	27° 48' 45.710" उ	74° 28' 8.928" पू
32	27° 48' 23.107" उ	74° 28' 3.561" पू
33	27° 48' 17.574" उ	74° 28' 10.100" पू
34	27° 48' 6.175" उ	74° 28' 11.656" पू
35	27° 47' 56.193" उ	74° 28' 9.904" पू

उपाबंध– V

की गई कार्रवाई संबंधित रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृतः (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें और बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रस्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार। [ब्यौरा उपाबंध के रुप में संलग्न करें।]
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (ब्यौरा एक पृथक उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। (ब्यौरा एक पृथक उपाबंध के रुप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/09/2019-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi,the 27th September, 2024

S.O .4242 (E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 2000(E), dated the 2nd May, 2023 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 3rd May, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in respect of the said draft notification have been considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary is spread over an area of 7.1977 Square Kilometers and is located in Sujangarh Tehsil of Churu District in the state of Rajasthan ;

AND WHEREAS, Tal Chhapar was declared a 'Reserved Area' for the protection of wild animals and birds in 1962, *vide* F.7 (379) Revenue A/ 59 dated the 19th September, 1962 and this area was finally notified as Reserved Forest *vide* F7 (118) Revenue/66 dated the 11th May, 1966 under section 20 of the Rajasthan Forest Act, 1953 (13 of 1953) and published in Rajasthan Gazette on the 8th September, 1966 and at the time of final notification, total area of the block was 2014.25 acre (815 Ha.) which was further amended vide Gazette Notification No. F (379) revenue /A/71 dated the 13 July, 1971 and out of the 815 ha, total area of about 96 ha of land was allotted to the salt miners and farmer of nearby village by the Collector Churu in 1983 and the area was declared as Wildlife Sanctuary as per the Entrance to Games Areas Rules, 1958 rule 2A, section 5 of the Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act, 1951(13 of 1951) and the sanctuary is home to more than 4500 individuals of Blackbucks, Chinkara and more than 250 species of birds and the area is widely popular for migratory birds especially raptors.

AND WHEREAS, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary provide habitat to rare, endangered and threatened species of flora and fauna such as motha grass *(Cyperus rotundus),* red phalarope *(Phalaropus fulicarius),* Chinese pond heron *(Ardeola bacchus),* desert monitor lizard (*Varanus griseus),* spiny tailed lizard (*Uromastyx hardwickii),* adoosa *(Adhatoda vasica),* lal satta *(Boerhania diffusa),* phog *(Calligonum polygonoides),* ban tulsi *(Ocimum sanclum),* red-necked falcon *(Falco chicquera),* lagger falcon *(Falco jugger),* Stoliczka's bushchat *(Saxicola macrorhynchus)* and endemic species of Spotted Creeper *(Salpornis spilonotus)* is also present in the area*;*

AND WHEREAS, the major vegetation present in the area includes grasses such as Baunli *(Acacia iacquernonti),* Jhar Ber *(Ziziphus nummularia),* Kair *(Capparis deciduas),* Adoosa *(Adhatoda vasica, Nees.),* Chonlai *(Amaranthus viridis),* Bui *(Aerva tomentosa, burm),* Bui *(Aerva javanica),* Satyanashi *(Arqernone Mexica),* Palak *(Beta vulgarie, Linn),* Lal Satta *(Boerhania diffusa),* Bokana *(Commelina bengalensis),* Dhatura *(Datura metel),* Sajee *(Salsala griffithi),* Kateli *(Solenurn surattense),* Gokhru *(Tribuu_surattense),* Dudhi *(Vallatis solanace, roth),* Hiran Khuri *(Wattakaka volubilis),* etc.;

AND WHEREAS, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary provides habitat to faunal species such as Black Buck *(Antelope cervicapra),* lndian gazzelIe *(GazeIIa gazelIa*), Blue Bull or Nilgai *(Boselaphus tragocamelus),* Desert Fox *(Vulpes vulpes pusilla),* Desert Cat *(Felis Iibyca),* Hare Desert *(Lepus nigricollis dayanus),* Indian Porcupine *(Hystrise indica (Kerr),* Indian Gerbille *(Tatera indica), etc.* along with important species of butterfly, insects and reptiles such as *Predacious diving beetle (Agabus bicolor), Riffle beetle (Elmidae), Marsh beetle (Prionocyphon limbata), Dung beetle (Phanaeus vindex MacLachlan), Toilet beetle (Virginia scoffed), Honey bee (Apis mellifera), Mud wasp (Mud dauber), Sphinx moth (Sphingidae), Indian cobra (Naja naja), Russell's Viper (Vipera russelli), Saw-saled Viper (Echis Carinata), John Earth Boa (Eryx johnii), Spiny tailed lizard (Uromastyx hardwickii), Dhaman or Rat Snake (Ptyas mucosus), Brooks gecko (Hemidactylus brooki), House Gecko (Hemidactylus flaviviridis) etc.;*

AND WHEREAS, major avifaunal species present in the Wildlife Sanctuary are Demoiselle crane *(Grus virgo),* Common crane *(Grus grus),* Bar-headed Goose *(Anser indicus),* Ruddy Shellduck *(Tadorna ferruginia),* Common Teal *(Anas crecca),* Black-shouldred kite *(Elanus caeruleus),* Shikra *(Accipiter badius),* Tawny Eagle *(Aquila rapax), Laggar falcon (Falco jugger),* Red-headed Falcon *(Falco chicquera), Merlin (Falco columbarius),* Lesser Kestrel *(Falco naumanni),* Steppe eagle *(Aquila nipalenses),* Eastern Imperial Eagle *(Aquila heliacal),* Eurasian Eagle Owl *(Bubo bubo),* Short-eared Owl *(Asio flammeus),* Stoliczka's bushchat *(Saxicola macrorhynchus),* Hen Harrier *(Circus cyaneus),* Pallid Harrier *(Circus macrourus),* Yellow-wattled Lapwing *(Vanellus malabaricus),* Black-winged Stilt *(Himantopus himantopus), Chestnut-bellied Sandgrouse (Pterocles exustus) , etc.;*

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act,1986 (29 of 1986) (hereinafter to be referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an Eco-sensitive Zone around the boundary of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone .- (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from 1.0 kilometre to 3.4 kilometre from the boundary of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary and the area of Eco-sensitive Zone is 22.45 square kilometres and the extent of Eco-sensitive zone in different directions is given below: -

DIRECTION	EXTENT
North	1.0 kilometre
North-East	2.9 kilometre
East	1.0 kilometre
South-East	1.0 kilometre
South	3.4 kilometre
South-West	1.2 kilometre
West	1.6 kilometre
North-West	1.3 kilometre

(2) The boundary description of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- I.**

(3) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and geo-coordinates is appended as **Annexure-III A, Annexure-III B, Annexure-III C, Annexure-III D, Annexure-III E and Annexure-III F.**

(5) The geo-coordinates of Tal Chhapar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-IV A and Annexure-IV B.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone, prepare and notify a Zonal Master Plan within two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and in conformity to the provisions of this notification.

(2)The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with the provisions of this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3)The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan , namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Highways; and

(xiii) State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use .- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents such as,-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4 :

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(a) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies .- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism .- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(ii) until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage .- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites .- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution .-Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(7) Air pollution .-Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(8) Discharge of effluents .- The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and as amended from time to time.

(9) Solid wastes .- Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

(a)The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone .

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management .- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016.

(12) Construction and demolition waste management .- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) E-waste - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

(14) Vehicular traffic .- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution .- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel such as Compressed Natural Gas ,etc.

(16) Industrial units .- (a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette.

(b)Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco senstive zone as per classification of industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes .- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone .- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, the rules made thereunder and other notifications, laws and acts of the Central Government, notification pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely: -

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive zone.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of Solid Waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No Solid Waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste is permitted within Eco-sensitive zone and further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment or hospital, etc. is prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities : Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
		Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No New commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents : Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small-scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce .	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per the applicable law (Underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable law.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
19.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose as per the applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall to be made for recycle and reuse of treated waste water , and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable law.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land or Forests or Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee .- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

(i) District Collector, Churu – Chairman, *ex officio*;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of Wildlife Conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years – Member;

(iii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government from time to time every three years	– Member;
(iv)	One expert in Biodiversity from reputed Institution or University of the State to be nominated by the State Government from time to time every three years	– Member;
(v)	A representative of the Public Works Department	– Member, *ex officio*;
(vi)	A representative of the Town Planning Department	– Member, *ex officio*;
(vii)	A representative of the Industry Department	– Member, *ex officio*;
(viii)	Regional Officer of the State Pollution Control Board	– Member, *ex officio*;
(ix)	Wildlife Warden, Churu	– Member, *ex officio*;
(x)	Range Forest Officer, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary	– Member, *ex officio*;
(xi)	Assistant Conservator of Forests, Tal Chhapar Wildlife Sanctuary	– Member, *ex officio*;
(xii)	Deputy Conservator of Forests, Churu	– Member Secretary, *ex officio*;

6. Functions of Monitoring Committee.- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from the Departments concerned, representatives from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per proforma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures .- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

ANNEXURE- I

Boundary Description of Eco-Sensitive Zone around Tal Chappar Wildlife Sanctuary

Eastern Boundary: Kishangarh-Hanumangarh Mega Highway from Railway station Chhapar to the point where Revenue village boundary of Dewani-Gulerian intersect the highway, except from Rampur village till junction of Devani Chhapar Road and mega highway where it is at less than 01 km distance from sanctuary, it passes through farms of Rampur village.

Southern Boundary: Revenue village boundary of villages Dewani-Gulerian and Soorwas-Gulerian from the Megahighway to the point where village Soorwas-Sujangarh kattani Rasta intersect therevenue boundary; and, Soorwas-Sujangarh kattani Rasta upto its origin in the village Soorwas.

Western Boundary: Village Soorwas to the first road curve on the Chadwas - Bidasar road to Chhapar town at a distance of 1 km from sanctuary boundary, passing through the agricultural fields of Charwas & Chhapar.

Northern Boundary: From boundary of Charwas village to Chhapar town (at adistance of 1km from sanctuary).

Land use pattern of the land included in Eco- Senstive Zone

1. Reserved Forest - 719 hectares notified and being managed as Tal Chhapar Wildlife Sanctuary.

2. Forest land – 78 hectares adjoining to the west boundary of the sanctuary.

3. Salt Pans - 450 hectares, adjoining to the west boundary of the sanctuary, being managed under control of Industrial Department;

4. Private Agricultural land, Revenue Lands, School, Gandhisagar, Royal Kothi and scattered residences etc.: - About 1710 hectares.

5. East of Sanctuary: - Gowshala Chhapar, about 300 hectares

ANNEXURE- II

List of Villages or Town falling within the Eco-Sensitive Zone along with Geo-coordinates.

GEO CORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES OR TOWNS FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	District/Division	Tehsil	Name of Villages/Towns	Latitude	Longitude
(i)	Churu	Sujangarh	Chadwas	27° 48' 02.1" N	74° 24' 35.3" E
(ii)	Churu	Sujangarh	Dewani	27° 47' 29.4" N	74° 27' 16.8" E
(iii)	Churu	Sujangarh	Rampur	27° 48' 00.8" N	74° 27' 39.5" E
(iv)	Churu	Sujangarh	Soorwas	27° 46' 22.7" N	74° 25' 31.0" E
(v)	Churu	Sujangarh	Chhapar	27° 48' 39.9" N	74° 26' 14.0" E

ANNEXURE- IIIA

LOCATION MAP OF TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

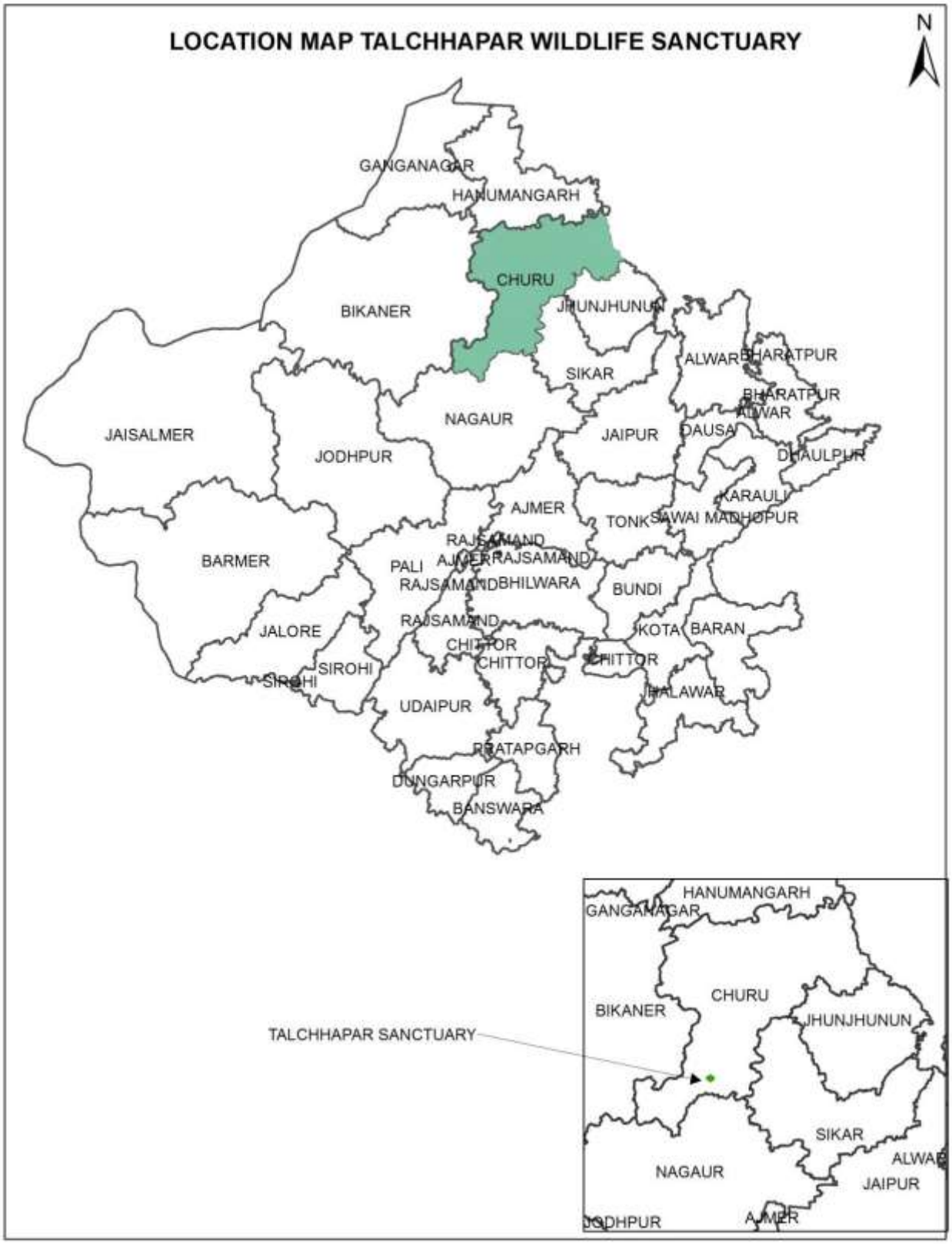

ANNEXURE-IIIB

DIGITAL MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

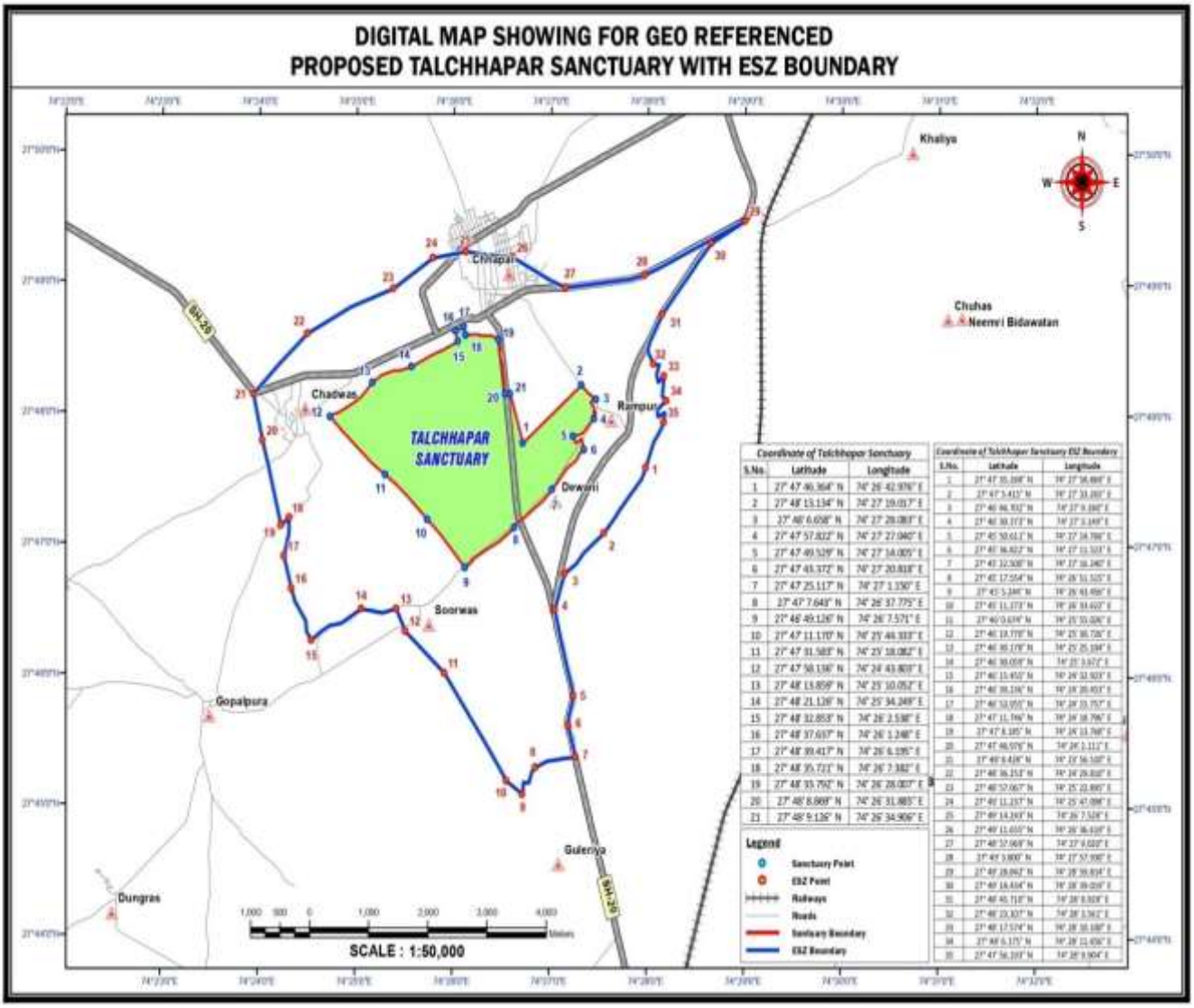

ANNEXURE- IIIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

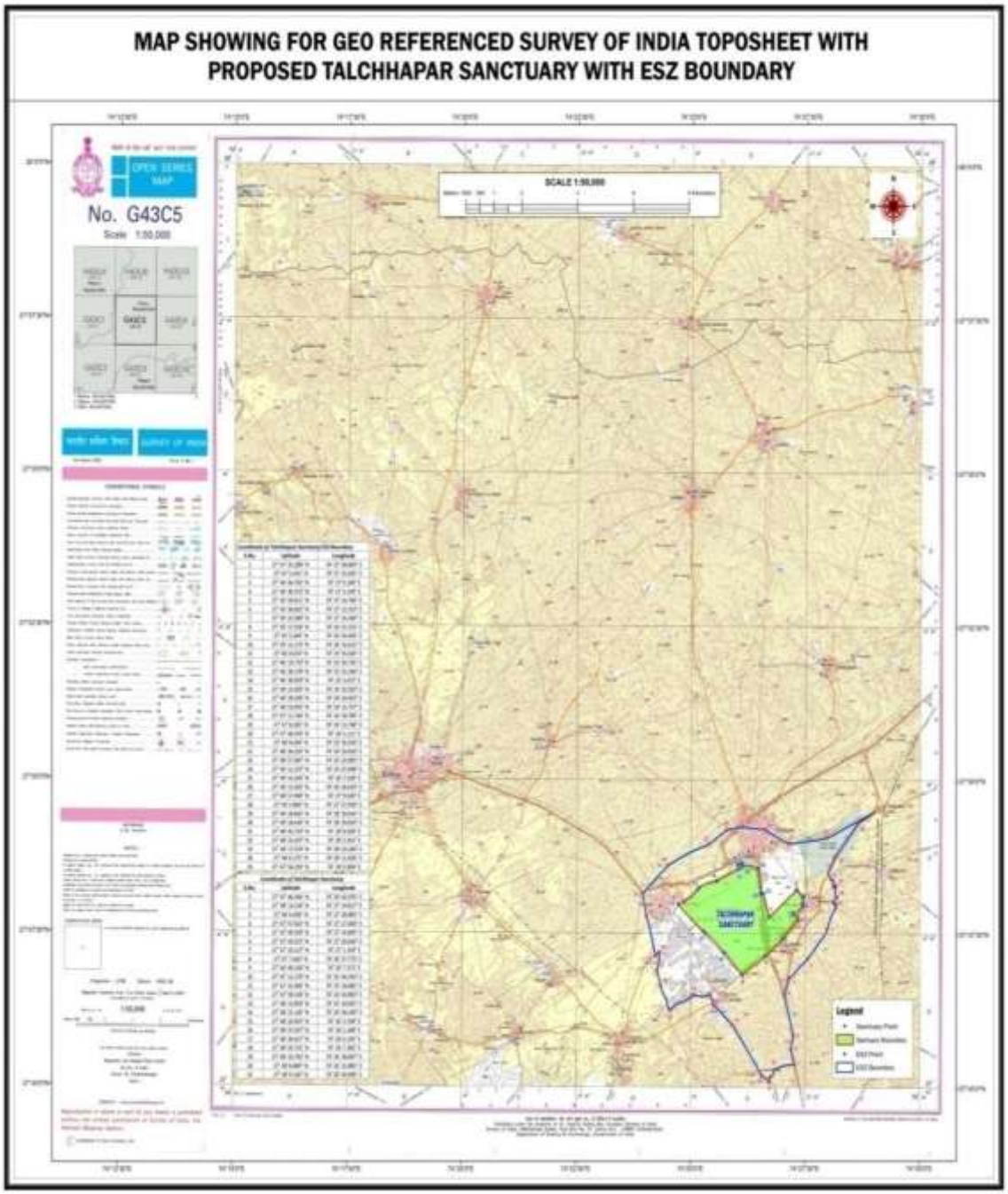

ANNEXURE- IIID

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TALCHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY

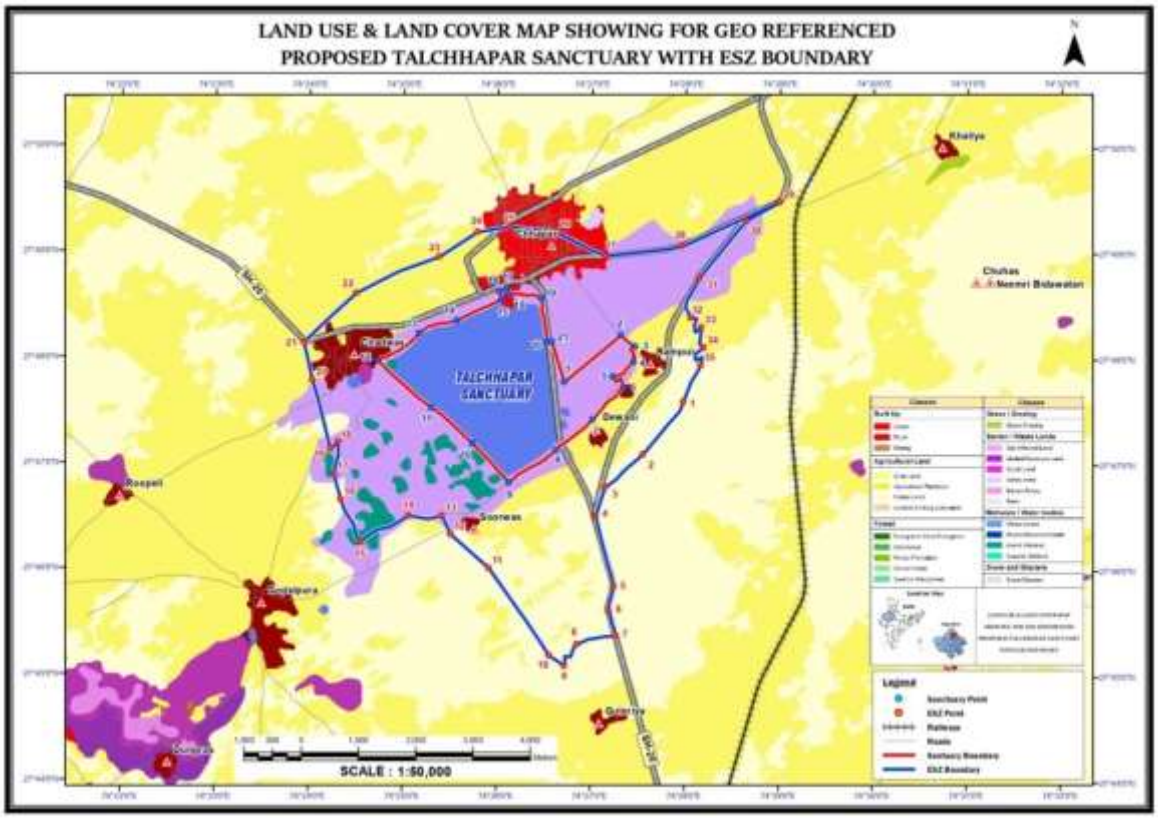

ANNEXURE- III E

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TAL CHHAPAR WILDLIFE SANCTUARY

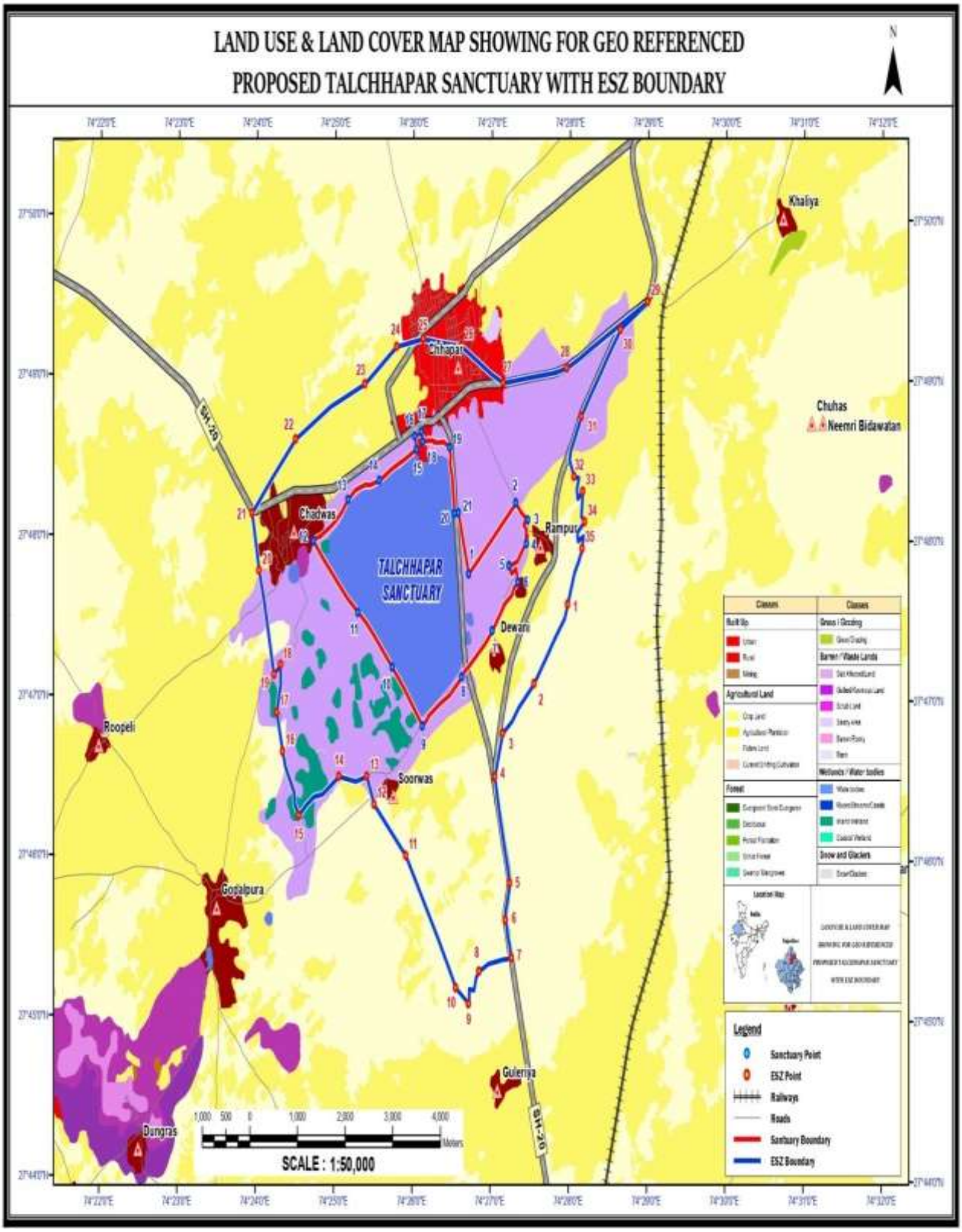

ANNEXURE- IIIF

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND TALCHAPPAR WILDLIFE SANCTUARY

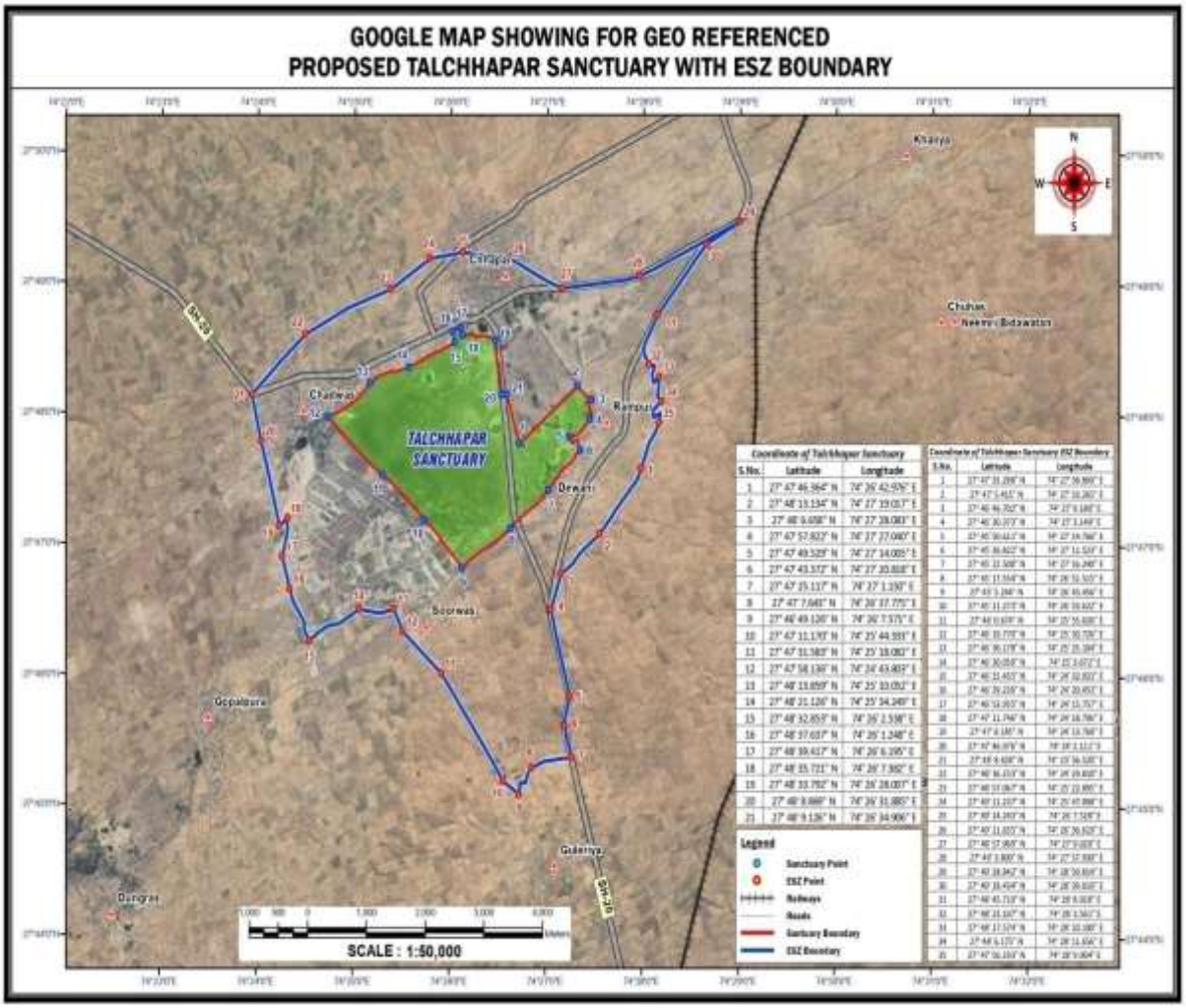

Annexure IVA

Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Tal Chappar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone of the Protected Area shown on Map

Coordinates of Tal Chhapar Sanctuary		
S.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	27° 47' 46.364" N	74° 26' 42.976" E
2	27° 48' 13.134" N	74° 27' 19.017" E
3	27° 48' 6.658" N	74° 27' 28.083" E
4	27° 47' 57.822" N	74° 27' 27.040" E
5	27° 47' 49.529" N	74° 27' 14.005" E
6	27° 47' 43.372" N	74° 27' 20.818" E
7	27° 47' 25.117" N	74° 27' 1.150" E
8	27° 47' 7.643" N	74° 26' 37.775" E
9	27° 46' 49.126" N	74° 26' 7.571" E
10	27° 47' 11.170" N	74° 25' 44.333" E

11	27° 47' 31.583" N	74° 25' 18.082" E
12	27° 47' 58.136" N	74° 24' 43.803" E
13	27° 48' 13.859" N	74° 25' 10.052" E
14	27° 48' 21.126" N	74° 25' 34.249" E
15	27° 48' 32.853" N	74° 26' 2.538" E
16	27° 48' 37.637" N	74° 26' 1.248" E
17	27° 48' 39.417" N	74° 26' 6.195" E
18	27° 48' 35.721" N	74° 26' 7.382" E
19	27° 48' 33.792" N	74° 26' 28.007" E
20	27° 48' 8.869" N	74° 26' 31.885" E
21	27° 48' 9.126" N	74° 26' 34.906" E

Annexure IVB

Tal Chhapar Wildlife Sanctuary Detailed Eco sensitive zone G.P.S Points

Coordinate of Tal Chhapar Sanctuary ESZ Boundary		
S.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	27° 47' 35.288" N	74° 27' 58.869" E
2	27° 47' 5.415" N	74° 27' 33.265" E
3	27° 46' 46.702" N	74° 27' 9.180" E
4	27° 46' 30.373" N	74° 27' 3.149" E
5	27° 45' 50.611" N	74° 27' 14.766" E
6	27° 45' 36.822" N	74° 27' 11.523" E
7	27° 45' 22.500" N	74° 27' 16.240" E
8	27° 45' 17.554" N	74° 26' 51.515" E
9	27° 45' 5.244" N	74° 26' 43.456" E
10	27° 45' 11.273" N	74° 26' 33.622" E
11	27° 46' 0.674" N	74° 25' 55.026" E
12	27° 46' 19.770" N	74° 25' 30.726" E
13	27° 46' 30.178" N	74° 25' 25.104" E
14	27° 46' 30.059" N	74° 25' 3.672" E
15	27° 46' 15.455" N	74° 24' 32.923" E
16	27° 46' 39.236" N	74° 24' 20.453" E
17	27° 46' 53.955" N	74° 24' 15.757" E
18	27° 47' 11.746" N	74° 24' 18.796" E
19	27° 47' 8.185" N	74° 24' 13.768" E
20	27° 47' 46.976" N	74° 24' 2.111" E
21	27° 48' 8.428" N	74° 23' 56.520" E

22	27° 48' 36.253" N	74° 24' 29.810" E
23	27° 48' 57.067" N	74° 25' 22.895" E
24	27° 49' 11.237" N	74° 25' 47.098" E
25	27° 49' 14.243" N	74° 26' 7.528" E
26	27° 49' 11.655" N	74° 26' 36.619" E
27	27° 48' 57.969" N	74° 27' 9.020" E
28	27° 49' 3.800" N	74° 27' 57.930" E
29	27° 49' 28.842" N	74° 28' 59.814" E
30	27° 49' 18.434" N	74° 28' 39.019" E
31	27° 48' 45.710" N	74° 28' 8.928" E
32	27° 48' 23.107" N	74° 28' 3.561" E
33	27° 48' 17.574" N	74° 28' 10.100" E
34	27° 48' 6.175" N	74° 28' 11.656" E
35	27° 47' 56.193" N	74° 28' 9.904" E

Annexure –V

Proforma of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points and attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise) and details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment Act.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/09/2019-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.28 17:57:58 +05'30'